

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
30 प्र० शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद-कोसीकलां, जनपद-मथुरा।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/1444आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 29.11.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रूपये 863.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 431.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। निम्न निकायों ने शासन द्वारा स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29.11.2013 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निकाय के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि रूपये 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	शासनादेश संख्या-13/1444 आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 29.11.2013 द्वारा अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि	निकायों को अवशेष धनराशि की स्वीकृति (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	मथुरा	न.पा.प. कोसीकलां	70.00	35.00	35.00
		कुल योग-	70.00	35.00	35.00

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

facm

4. शासनादेश संख्या-13/1444आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 29.11.2013 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय
ON

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

संख्या- 69/263 (1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

विष्णु

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

ON

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

विष्णु

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014

आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:-

69-263

आवंटन आदेश संख्या:-

001-69-263ANY-9-8-14-2ANYBud-2013

अनुदान संख्या:-

37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - आदर्श नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	3500000 7000000	3500000 7000000
	योग	वर्तमान प्रणामी	3500000 7000000	3500000 7000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया पैंतीस लाख

महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया सत्तर लाख

उप सचिव

उमा शंकर सिंह

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,

उप सचिव,

30 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

नगर पालिका परिषद-देवबन्द जनपद-सहारनपुर।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1087आ.न.यो./9-8-2013-12(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 05.8.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रूपये 380.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 190.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। निम्न निकायों ने शासन द्वारा स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05.8.2013 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निकायों के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि रूपये 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	शासनादेश संख्या- 1087आ.न.यो./9-8-2013-12(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 05.8.2013 द्वारा अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि	निकायों को अवशेष धनराशि की स्वीकृति (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	न.पा.प. देवबन्द	140.00	70.00	70.00
		योग-	140.00	70.00	70.00

Signature

h

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. शासनादेश संख्या-1087आ.न.यो./9-8-2013-12(3)आ.न.यो./2013 दिनांक 05.8.2013 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।
Umas

संख्या- 70/264 (1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।
Umas

Allotment Grid Report



वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:- 70-264
 आवंटन आदेश संख्या:- 001-70-264ANY-9-8-14-2ANYBud-2013
 अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
 192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
 04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
 01 - आदर्श नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सहारनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000000 24250000	7000000 24250000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7000000 24250000	7000000 24250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तर लाख
 महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ बयालीस लाख पचास हजार


 उप सचिव
 उमा शंकर सिंह


प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद-कांधला, जनपद-शामली।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक ०५ मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/1472आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 09.1.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रूपये 256.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 128.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। निम्न निकायों ने शासन द्वारा स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.1.2014 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निकाय के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि रूपये 25.50 लाख (रूपये पच्चीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	शासनादेश संख्या- 4/1472आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 09.1.2014 द्वारा अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि	निकायों को अवशेष धनराशि की स्वीकृति (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	शामली	न.पा.प. कांधला	51.00	25.50	25.50
		कुल योग-	51.00	25.50	25.50

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर

दिनांक

पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. शासनादेश संख्या-4/1472आ.न.यो./9-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 09.1.2014 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 71/265 (1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

Signature

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

Signature

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:- 71-265
आवंटन आदेश संख्या:- 001-71-265ANY-9-8-14-2ANYBud-2013
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - आदर्श नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मुजफ्फर नगर-4183-जिलाधिकारी, --01-- (ज्यामन्वी)	वर्तमान प्रगामी	2550000 16000000	2550000 16000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2550000 16000000	2550000 16000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ साठ लाख


 उप सचिव
 उमा शंकर सिंह
Uma